न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2021/109

(1). शिवराज पिता मुल्या जाति ब्राहम्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

(1). मुल्या पिता प्रभूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
(2). राधेश्याम पिता मुल्या जाति ब्राहम्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
(3). मनोज कुमार पुत्र मुल्या जाति ब्राहम्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
(4). गिरिराज पुत्र मुल्या जाति ब्राहम्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
(5). महावीर पुत्र मुल्या जाति ब्राहम्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
(6). अयोध्या पुत्री मुल्या जाति ब्राहम्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
(7). राममूर्ति पुत्री मुल्या जाति ब्राहम्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
(8). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). दीनानाथ मालव– अधिवक्ता अपीलांट
(2). बृजनारायण शर्मा– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1, 2
(3). रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 7– बावजूद सूचना अनुपस्थित
(4) पैरोकार सरकार– रेस्पोडेन्ट 8

निर्णय **दिनांक 17.01.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 65/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 24.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि मौजा सन्मानपुरा तहसील पीपल्दा की खाता संख्या 193 मे दर्ज आराजी संख्या 611, 617 कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर स्थित होकर वादी अपीलांट व रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 2 से 7 के पिता रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज है। इसी कम मे मौजा सन्मानपुरा की खाता संख्या 234 मे दर्ज आराजी संख्या 598, 603, 618, 619, 713, 714, 717 कुल किता 7 कुल रकबा 8.50 हैक्टेयर स्थित है जिसमे वादी अपीलांट व रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 2 से 7 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी मे 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी मे 1/2 हिस्सा दर्ज रेकॉर्ड है। साथ ही मौजा हथौली तहसील पीपल्दा की खाता संख्या 90 मे दर्ज आराजी संख्या 89 रकबा 2.68 हैक्टेयर भूमि मे वादी अपीलांट व रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 2 से 7 के पिता रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी मे 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी मे 1/2 हिस्सा दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है। वादपत्र मे सजरा परिवार प्रस्तुत किया जिसके अनुसार मूलपुरूष जगन्नाथ के प्रभूलाल व गोपाल दो पुत्र होना अंकित किया। प्रभूलाल के फौत होने के उपरांत उनके हिस्से की कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज हो गई। गोपाल लाऔलाद फोत हो गया, गोपाल का विधिक वारिस भी रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 ही है। इस प्रकार उक्त वर्णिस सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का एकमात्र स्वामी रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 है। वादी अपीलांट व रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 2 से 7 रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान है। इस प्रकार वादी अपीलांट को उक्त आराजीयात पैतृक सम्पत्ति होने से पूर्वजो से विरासत मे प्राप्त हुई है, इसलिए उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे वादी अपीलांट का 1/8 व रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा निहित है व इसी अनुरूप काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। चूंकि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति होने व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पूर्वजो से प्राप्त होने से वादी अपीलांट का उक्त आराजीयात मे जन्म से हित उत्पन्न हो गया है, इसलिये वादी अपीलांट अपने स्वयं के निहित 1/8 हिस्से की भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाकर पृथक से बंटवारा कराने का अधिकारी है। राजस्व अधिकारियों ने गोपाल के हिस्से की भूमि को राजस्व अभिलेख मे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 के नाम गलत इन्द्राज कर दिया जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था । उक्त गलत इन्द्राज का अनुचित लाभ उठाकर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 उक्त विवादित आराजीयात को खुर्द–बुर्द करने, बेचान करने पर उतारू हो गया है जिसका रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 को कोई अधिकार नहीं है। अन्त मे उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे वादी अपीलांट को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे वादी अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही वादी अपीलांट के 1/8 हिस्से का पृथक से विभाजन किये जाने का निवेदन किया एवं वादी अपीलांट के 1/8 हिस्से पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार से मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी एवं जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता वादी अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का जवाब प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दिनांक 24.03.2021 को अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादी की ओर से न्यायालय हाजा मे अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपील के विचाराधीन रहते हुए अधिवक्ता अपीलांट वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज अपील के न्यायिक निस्तारण के लिए रेकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक होना बताते हुए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रेकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण को अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी का जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु कई अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र मे जवाब की कार्यवाही बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी एवं वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का वादपत्र प्रस्तुत किया कि अपीलांट का पूर्वज जगन्नाथ था । जगन्नाथ के दो संताने गोपाल व प्रभूलाल हुए। गोपाल लाऔलाद फोत हो गया। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रभूलाल की संतान है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 7 एवं अपीलांट जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान है। जिससे विवादित कृषि आराजीयात मे प्रत्येक का 1/8, 1/8 हक हिस्सा निहित है। अपीलांट व रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 7 सभी सहदायिक है जो विभाजन कराने के अधिकारी है। वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे घोषणा व बंटवारे का वादपत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 3 से 7 ने वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र की पुष्टि की है , इसके बावजूद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना जवाबदावा लिये व बिना तनकीयात विरचित किये यह मानते हुए निर्णय पारित किया है कि वादी अपीलांट स्वर्गीय गोपाल की सम्पत्ति का सहदायिक नहीं है, जिस कारण वादी अपीलांट का वाद कारण पैदा नहीं होता है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को गोपाल का गोदपुत्र मानने मे भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय मे न तो गोदनामा प्रस्तुत हुआ है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के गोपाल का गोदपुत्र होना प्रमाणित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि विवादित आराजीयात प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है। तथा अपीलांट व

रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 7 उसके सहदायिक है तथा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सहदायिक के सम्बन्ध मे अधीनस्थ न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत किया है। राधेश्याम के नाम उक्त आराजीयात गोदपुत्र की हैसियत से नहीं आई है और न ही अधीनस्थ न्यायालय मे यह वाद बिन्दु विरचित हुआ और न ही साक्ष्य प्रस्तुत हुआ है कि उक्त सम्पत्ति वादी अपीलांट की सहदायिक है या नहीं । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे बिना तनकीयात विरचित किये व बिना साक्ष्य लिये रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। अन्त मे अपील अपीलांट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2021 खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तत अपन जवाबदावे मे यह कथन किया है कि वादी अपीलांट द्वारा अपने वादपत्र मे आलेखित गोपाल की आराजीयात के संबंध मे बंटवारे का अनुतोष चाहा है जबकि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं अपने जवाबदावे मे यह उल्लेखित किया है वादी अपीलांट गोपाल का सहदायिक या उत्तराधिकारी नहीं है और न ही वादी अपीलांट गोपाल के हिस्से की कृषि आराजी पर बंटवारे का वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी है। गोपाल की आराजीयात पर बंटवाड़े का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार सिर्फ प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्राप्त है। अपीलांट का अपने पिता प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी पर जो कि उसके परपिता की पैतृक आराजी होने से उसके हिस्से तक ही बंटवारे का वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी है। वादी अपीलांट को गोपाल या रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की आराजीयात के संबंध मे बंटवारे का वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा स्वयं की एवं गोपाल की हिस्सेदारी की आराजी जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज की गई है और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा सहमति से सम्पूर्ण आराजीयात का बंटवारा किया जाकर उसी समय से 1/2, 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि वादी अपीलांट द्वारा गोपाल की आराजीयात को बंटवारे के वादपत्र मे सम्मिलित किया है जो कि उसके परपिता की सम्पत्ति या पैतृक सम्पत्ति नहीं है। इसी बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार करते हुए वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपने जवाब मे यह स्वीकार किया है कि अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 राधेश्याम को उसके काका गोपाल के यहां गोद दिया गया है। अपने पुत्र को गोद दिये जाने का सबसे उत्तम प्रमाण एक पिता द्वारा ही प्रमाणित किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को गोद दिया तब अपीलांट बहुत ही छोटा व नासमझ था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा पूर्व मे उसके पिता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जेकाश्त की 1/2 हिस्सेदारी वाली कृषि आराजी पर स्वयं की हिस्सेदारी चाहने बाबत कोई वादपत्र किसी भी न्यायालय मे प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि शिवराज द्वारा गोपाल

के हिस्से की कृषि आराजी जो कि 50 वर्ष पूर्व ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी मे दर्ज हो चुकी है जिस पर भी उसके पिता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के जीवित होते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत किया है जो कि अनुचित एवं अवैधानिक है। अपने पिता के जीवनकाल मे अपीलांट को गोपाल के हिस्से की आराजी पर वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं है। राजस्व रेकॉर्ड मे एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पहचान के दस्तावेजो मे गोपाल का नाम रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता के रूप मे दर्ज है। गोपाल के निधन के बाद उसके स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरासतीय नामान्तरण के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा आज तक किसी सक्षम न्यायालय मे अपील प्रस्तुत नहीं की है। उक्त सभी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2021 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

7. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण मे वादी अपीलांट ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विवादित कृषि आराजीयात के संबंध मे खातेदारी घोषणा व बंटवारे की ईमदाद चाही है। विवादित आराजीयात को दो श्रेणियों मे रखा जा सकता है। पहली आराजीयात जो कि वादी अपीलांट के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। साथ ही दूसरी आराजीयात जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज रेकॉर्ड है जो उसके दादा के भाई गोपाल से प्राप्त होने का कथन अभिहित है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दोनो आराजीयात को सम्मिलित करते हुए अपीलांट वादी की पैतृक सम्पत्ति होने के संबंध मे वाद बिन्दु कायम किये बिना व बिना साक्ष्य सबूत के ही अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किये बिना साक्ष्य के ही रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के आधार पर वादपत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी अपीलांट को मुल्या का सहदायिक माना है तथा गोपाल का सहदायिक नहीं माना है एवं गोपाल के खातेदारी की आराजीयात मे विरासत से वादी अपीलांट का कोई हक अधिकार नही माना है। साथ ही वादपत्र मे वर्णित आराजी जो वर्तमान मे अपीलांट के पिता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज है, जिसमे अपीलांट के हक अधिकारों के संबंध मे कोई उल्लेख अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय मे नहीं किया है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे उसके पिता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की आराजीयात के संबंध मे भी घोषणा व बंटवारे का अनुतोष चाहा है, परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल गोपाल से प्राप्त रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज आराजीयात के संबंध मे ही अपने निर्णय मे उल्लेख किया है। यदि केवल तर्क हेतु यह मान भी लिया जाए कि गोपाल से प्राप्त रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के खातेदारी मे दर्ज आराजीयात अपीलांट के पिता की पैतृक सम्पत्ति नहीं है, तब भी अपीलांट के पिता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज आराजीयात के संबंध मे अपीलांट के हक अधिकारों के होने अथवा नहीं होने के संबंध मे समुचित तनकीयात कायम की जाकर, उभय पक्षकारान को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया जाना

आवश्यक था, परन्तु आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सम्पूर्ण वादपत्र अस्वीकार किया गया है जो विधि अनुसार न्यायोचित नहीं है। चूंकि वादग्रस्त आराजी मे वादी अपीलांट के पिता की भूमि भी सम्मिलित है, अतः वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को प्रारंभिक अवस्था पर ही अस्वीकार करना उचित नहीं होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा प्रकरण संख्या 65/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 24.03.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार समुचित तनकीयात कायम कर उन पर साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर तनकीवार नवीन सिरे से निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 21.02.2023 को उपस्थित रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 17.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा(राज0)

अपील में डिक्री
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 2021 / 109

(1). शिवराज पिता मुल्या जाति ब्राह्म्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

(1). मुल्या पिता प्रभूलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
(2). राधेश्याम पिता मुल्या जाति ब्राह्म्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
(3). मनोज कुमार पुत्र मुल्या जाति ब्राह्म्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
(4). गिरिराज पुत्र मुल्या जाति ब्राह्म्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
(5). महावीर पुत्र मुल्या जाति ब्राह्म्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
(6). अयोध्या पुत्री मुल्या जाति ब्राह्म्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
(7). राममूर्ति पुत्री मुल्या जाति ब्राह्म्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
(8). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोंडेन्टगण

बनाराजगी निर्णय दिनांक 24.03.2021 परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा, जिला कोटा ।

वाद संख्या: 65 / 2020

(1). शिवराज पिता मुल्या जाति ब्राह्म्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

– वादी

बनाम

(1). मुल्या पिता प्रभूलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
(2). राधेश्याम पिता मुल्या जाति ब्राह्म्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

(3). मनोज कुमार पुत्र मुल्या जाति ब्राहम्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
(4). गिरिराज पुत्र मुल्या जाति ब्राहम्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
(5). महावीर पुत्र मुल्या जाति ब्राहम्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
(6). अयोध्या पुत्री मुल्या जाति ब्राहम्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
(7). राममूर्ति पुत्री मुल्या जाति ब्राहम्ण निवासी हथौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
(8). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2021 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 17.01.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री दीनानाथ गालव, एवं रेस्पोडेन्ट कम 1, 2 की ओर से अभिभाषक श्री बृजनारायण शर्मा, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा प्रकरण संख्या 65/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 24.03.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार समुचित तनकीयात कायम कर उन पर साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर तनकीवार नवीन सिरे से निर्णय पारित करे।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 17.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा